



टी बोर्ड भारत Tea Board India

14, बी.टी.एम सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001

14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001

www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं/६(२९)६.एलसी/नीलामी/अपशिष्ट श्रेणी चाय/2024 /1014 दिनांक 25 जुलाई 2025

आदेश

विषय : 100% अपशिष्ट श्रेणी चाय की नीलामी के संबंध में।

आदेश एस.ओ. 85(ई) दिनांक 23.02.2024 के तहत टी बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं केंद्र सरकार के परामर्श से, टी बोर्ड यह निर्दिष्ट करता है कि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2023 के पैराग्राफ 21(1) में निहित प्रावधान 30 जून, 2025 से छह (6) माह की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रहेंगे।

Sd/-

(अरुणिता फुकन यादव)

पंजीकरण प्राधिकारी

वितरण :

1. सभी चाय उत्पादक संघ
2. सभी क्रेता संघ
3. सभी चाय निर्यातक संघ
4. सभी पंजीकृत नीलामी आयोजक
5. चाय नीलामीकर्ताओं का संघ)एटीए(
6. मेसर्स एनएसईआईटी लिमिटेड
7. मेसर्स एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
8. मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
9. बोर्ड के सभी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय